(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

Government of National Capital Territory of Delhi
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification

Date: 05/12/24

No. F.3(17)/Fin(Exp-I)/2024/ols1/1077.-In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub section (1) of section 110 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), and the proviso thereof, the Government of Delhi, on the recommendations of the Council, in respect of the qualification of the officers of Delhi for appointment as a Technical Member (State) in the State Benches of Goods and Services Tax Appellate Tribunal, hereby:

> relaxes the qualification from the requirement of "completion of twenty-five years of service in Group A, or equivalent" as per proviso to clause (d) of sub-section (1) of section 110 of Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) to "*an officer of All India Service (Group 'A') of AGMUT Cadre in the Government of National Capital Territory of Delhi, who has completed at least fifteen years of service in the Government as Group A or equivalent, subject to overall twenty-five years of service, to be eligible for the appointment as Technical Member (State) in State Bench* " for a period of ten years from the date of publication of this notification.

All other conditions as contained in clause (d) of sub-section (1) of section 110 of CentralGoods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) shall also apply.

By order and in the name of
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi;

(Ravinder Kumar)
Joint Secretary, Finance ,Delhi

No. F.3(17)/Fin(Exp-I)/2024/ols1/1077 Dated: 05/12/24

Copy forwarded for information to:-

1. Pr. Secretary to Hon'ble Lt. Governor, Delhi.
2. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister/Finance Minister, Government of National Capital Territory of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.

3. The Additional Chief Secretary (GAD), Government of National Capital Territory of Delhi in duplicate with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
4. The Additional Chief Secretary (Finance), Government of National Capital Territory of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, Delhi.
5. The Member Secretary, Search cum Selection Committee (GSTAT), Department of Finance Government of National Capital Territory of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, Delhi.
6. The Commissioner, State Tax, Govt. of National Capital Territory of Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
7. Joint Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India.
8. Under Secretary, GST Council Secretariat, 5th Floor, Tower II, Jeevan Bharti Building Janpath Road, Connaught Place, New Delhi-110 001
9. Website.
10. Guard File.

(Ravinder Kumar)
Joint Secretary, Finance ,Delhi

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय–I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अधिसूचना

दिनांक : 05/12/2024

फा0सं0 .3(17)/वित्त(व्यय–I)/2024/ds1/1077– केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (घ) तथा उसके परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली सरकार, परिषद् की अनुशंसा पर, माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की राज्य पीठों में तकनीकी सदस्य (राज्य) के रूप में नियुक्ति हेतु दिल्ली के अधिकारियों की योग्यता के संबंध में, एतद् द्वारा :

केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (घ) के परंतुक के अनुसार ''समूह क या समकक्ष में पच्चीस वर्ष की सेवा पूरी करने'' की आवश्यकता से योग्यता को ''राज्य पीठ में तकनीकी सदस्य (राज्य) के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होने के लिए कुल पच्चीस वर्ष की सेवा के अधीन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में एजीएमयूटी संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा (समूह 'क') के अधिकारी जिसने सरकार में समूह क या समकक्ष के रूप में कम से कम पंद्रह वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है।'' के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दस वर्ष की अवधि के लिए शिथिल करते हैं।''

केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 110 की उप–धारा (1) के खंड (घ) में यथानिहित सभी अन्य शर्तें भी लागू होंगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

(रविन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव, वित्त, दिल्ली

फा0सं0 .3(17)/वित्त(व्यय–I)/2024/0151/1077 दिनांक : 05/12/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचना हेतु प्रेषित :–

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अतिरिक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0प्र0वि0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अनुलिपि में आज की तिथि में दिल्ली राजपत्र के भाग चार (असाधारण) में अधिसूचना को प्रकाशित करने के लिए अनुरोध सहित।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, दिल्ली।
5. सदस्य सचिव, खोज सह चयन समिति (जीएसटीएटी), वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, दिल्ली।
6. आयुक्त, राज्य कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, व्यापार भवन, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
7. संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
8. अवर सचिव, जीएसटी परिषद् सचिवालय, 5वीं मंजिल, टॉवर II, जीवन भारती भवन, जनपथ रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001
9. वेबसाइट।
10. गार्ड फाइल।

(रविन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव, वित्त, दिल्ली